# लिंग भेदभाव अध्यादेश और मैं

## Q: लिंग भेदभाव अध्यादेश (SDO)क्या है?

A: SDO एक गैर भेदभावरोही कानून है जो 1995 में पारित हुआ था। इस कानून के अन्तर्गत लिंग, वैवाहिक स्थिति और गर्भावस्था के आधार पर भेदभाव और यौन उत्पीड़ित को गैरकानूनी बनाया गया है। ये संरक्षण विभिन्न क्षेत्रों में है। यह कानून पुरूषों और महिलाओं दोनों पर ही लागू होता है।

SDO समान अवसर कमिशन (ईओसी) की स्थापना कराने का प्रावधान कराता है, जिससे कि भेदभाव और अत्याचार हटाने साथ ही महिलाओं और पुरूषों के बीच समान अवसर विकसित करने की ओर कार्य किया जा सके।

## Q: वो कौन से क्षेत्र है जहाँ मै संरक्षित हूँ?

A: आप को निम्न क्षेत्रों में संरक्षण मिला हुआ है :
-- रोजगार,
-- शिक्षा,
-- वस्तुओं, सुविधओं या सेवाओं का प्रावधान
-- परिसरों का प्रबंधन तथा निपटान
-- सलाहकारी निकायों में चुने जाने या नियुक्त होने और वोट देने की योग्यता
-- क्लबों में भागीदारी
-- सरकार की गतिविधियां

## Q: क्या हांगकांग के सभी रोजगारदाताओं पर SDO लागू होता है?

A: हांगकांग के सभी रोजगारदाताओं पर SDO लागू होता है, सिवाय उनकें जिनके कर्मचारी पुरी तरह या मुख्यतः हांगकांग से बाहर काम करते हैं।

## SDO के अन्तर्गत अवैधानिक कार्य

## Q: भेदभाव क्या है?

A: भेदभाव दो तरह के होते हैं — प्रत्यक्ष भेदभाव और अप्रत्यक्ष भेदभाव ।

**प्रत्यक्ष भेदभाव** तब होता है जब दूसरे व्यक्ति की तुलना किसी व्यक्ति के साथ विपरीत लिंग, भिन्न वैवाहिक स्थिति या गर्भवती होने के आधार पर कम हितकारी व्यवहार किया जाता हैं । उदाहरण के लिए, अगर दूसरे लिंगके व्यक्तिको नौकरी देनें के लिए रोजगारदाता आपको नौकरी देनें से इनकार करते हैं । अगर आप अविवाहित गर्भवती हो और आपका रोजगारदाता कहे कि मातृत्व सुविधायें केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो कानूनी रूप से विवाहित हो । अगर आपको मातृत्व छुट्टी के अन्त में नौकरी से अवकाश दी जाए तो यह गर्भावस्था संबंधी

भेदभाव हो सकती है।

**अप्रत्यक्ष भेदभाव** उस समय होता है जब कोई एक शर्त या जरूरत जो तर्कसंगत न हो हरेक पर लागू होता हैं, लेकिन व्यवहार में, किसी लिंग विशेष या वैवाहिक स्थिति वाले व्यक्तियों और गर्भवती महिलाओंको बुरी तरह प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, अगर आपका रोजगारदाता आप पर गर्भवती होने के कारण अतिरिक्त काम न कर पाने के लिए सजा देता है। अगर आपका रोजगारदाता यह सिद्ध न कर सके कि अतिरिक्त काम संबंधी जरूरतें तर्कसंगत है तो इसे अप्रत्यक्ष भेदभाव कहा जायेगा।

**Q: क्या मेरे लिंग की वजह से रोजगारदाता मुझे रोजगार देनें से इनकार करा सकते हैं?**
A: लैंगिंक आधार पर किसी नौकरी के उम्मेदवार या कर्मचारी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव करना गैरकानूनी होता है। हालांकि, अगर किसी व्यक्ति का लिंग उस नौकरी के लिए कोई वास्तविक व्यावसायिक योग्यता (GOQ) है तो इस स्थिति में यह गैरकानूनी नहीं होगा । इसका मतलब वो काम केवल पुरूष विशेष या फिर महिला विशेष ही कर सकते है । लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई रोजगारदाता यह समझे कि महिलाओं के लिए मैनेजर और पुरुष के लिए क्लर्क का काम ठीक नहीं है। वास्तविक व्यावसायिक योग्यता (GOQ) मे यह स्पष्ट होनी चाहिए कि वो काम इन कारणों के तहत केवल पुरूष विशेष या फिर महिला विशेष ही कर सकते हैं । उदाहरण के लिए, किसी वृद्धाश्रम में वृद्ध महिलाओंकी भली प्रकार से देखभाल करने के लिए महिला सहायकों की ही आवश्यकता होती हैं।

**Q: क्या वास्तविक व्यावसायिक योग्यता(GOQ) एक स्वतः अपवाद है?**
A: नहीं। वास्तविक व्यावसायिक योग्यता SDO में स्वतः अपवाद नहीं है । रोजगारदाताको यह प्रमाणित करना होगा कि वास्तविक व्यावसायिक योग्यता पूरी तरह इस नौकरी के लिए आवश्यक है।

**Q: क्या किसी नौकरी के उम्मेदवारको गर्भवती होने के कारण पर कोई रोजगारदाता उसे नौकरी देने से इनकार कर सकता है?**
A: किसी नौकरी के उम्मेदवार के साथ गर्भवती होने के कारण भेदभाव करना गैरकानूनी है। यदि वो महिला की योग्यता उम्मेदवारों मे उत्कृष्ट है तो नौकरी के लिए उसी को चुनना चाहिए। मगर यदि वो नौकरी अल्पकालीन है और इसे अल्पावधि में किया जाना चाहिए तो ऐसी स्थिति में रोजगारदाता के लिए किसी गर्भवती महिला उम्मेदवार को न लेना उचित होगा।

**Q: क्या मेरे लिंग, गर्भावस्था या वैवाहिक स्थिति के कारण कोई शैक्षिक संस्था या कोई सेवा प्रदाता मुझे सेवायें या सुविधायें प्रदान करने से इनकार कर सकता है?**
A: किसी सेवा प्रदाताको लिंग, गर्भवस्था या वैवाहिक स्थिति के आधार पर वस्तुएं, सेवायें या सुविधाएं प्रदान करने से इनकार करना गैरकानूनी होता है । किसी शैक्षिक संस्था के द्वारा उपरोक्त कारणों कि वजह से किसीको भर्ती न करना या किसी छात्र का निष्कासित करना गैरकानूनी होता है ।

**Q: यौन उत्पीड़न क्या है?**

A: यौन उत्पीड़न दो प्रकार के होते हैं । इनमें से पहला किसी भी प्रकार का अप्रिय यौन व्यवहार या वरताव है जो दुःखदाई, अपमानजनक या डरावना हो। दूसरे प्रकारका यौन उत्पीड़न काम के वातावरण से संबंधित है । अगर कोई काम की जगह (कार्यालय इत्यादि) में ऐसी तस्वीर या भाषा की प्रयोग या व्यवहार करे जो वासनात्मक प्रकृति के हो और जो पीड़ित व्यक्ति के काम में बाधा डाले तो वो ''लैंगिक रूप में प्रतिकुल काम का वातावरण'' ठहराया जाएगा।

**Q: गर्भावस्था भेदभाव क्या है?**

A: निम्न प्रकार के व्यवहारको गर्भावस्था भेदभाव माना जा सकता है :

– अगर कोई भी रोजगारदाता किसी गर्भवती महिला को नौकरी देने से इन्कार करें तो ।
– अगर कोई भी रोजगारदाता किसी भी गर्भवती महिला को नौकरी से हटा देता है या कम वेतन वाले स्थिति में भेज देता है।
– अगर कोई भी रोजगारदाता मातृत्व अवकाश से लौटकर आने पर किसी भी महिला को नौकरी से हटा देता है।

**Q: वैवाहिक स्थिति संबंधी भेदभाव क्या है?**

A: अगर किसी भी काम के लिए किसी विशेष वैवाहिक स्थिति की आवश्यकता होती है तो वो वैवाहिक स्थिति संबंधी भेदभाव होता है। उदाहरण के लिए, कोई मकान मालिक केवल विवाहितों को ही मकान किराया में दे। अगर कोई रोजगार प्रदाता अकेला, विवाहित या तलाकशुदा को अलग अलग लाभ देता है।

**Q: अगर किसी की गवाह होने से या कोई मित्र या सहकर्मी जिसने शिकायत दर्ज की हो उनको जानकारी देने से कोई मुझसे कम हितकारी व्यवहार करे तो क्या ईओसी मेरा सहयोग करेगा?**

A: हाँ । अगर शिकायतकर्ताकी मदद करने पर कोई आप से कम हितकारी व्यवहार करे तो आप पिड़ीत किए जाने की शिकायत दर्ज कर सकते है। इस अवस्था में आप कानून के अर्न्तगत संरक्षित है और आप को तुरन्त अपने मित्र या सहकर्मी की शिकायत देख रहे अधिकृत को जानकारी देना होगा ।

**Q: क्या SDO सरकार पर लागू होता है?**

A: हाँ, SDO के प्रावधान सरकार पर लागू होते हैं हाँलाकि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनको कानून से छुट प्राप्त है । जैसे कि:

– किसी अप्रवास कानून के तहत किये गये कार्य
– हांगकांग में प्रवेश और प्रस्थान
– अन्य वर्तमान वैधानिक प्रावधानों को पूरा करने के लिए किए गये कार्य

**ईओसी में शिकायत दर्ज करना**

**Q: अगर मेरे साथ भेदभाव किया जाए तो मै क्या करूं?**

A: आप इनमें से कोई एक या ज्यादा कार्यों को कर सकते है:

– अगर शिकायत नौकरी से संबंधित है तो आप अपने व्यवसाय संगठन के प्रबंधक वर्ग से शिकायत दर्ज कर सकते है या अपने कर्मचारी संगठन या यूनियन से सहायता ले सकते है।
– अगर शिकायत वस्तुओं सेवाओं, सुविधाओं या किसी शैक्षिक संस्था से संबंधित है तो आप सेवा प्रदाता से शिकायत कर सकते है या सेवा सुधार के लिए अनुरोध कर सकते है ।
– साथ ही आप समान अवसर कमिशन (ईओसी) में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
– अपना मुकदमा न्यायालय में दर्ज करा सकते है।

आपके साथ घटी घटनाओं आपके दिमाग में ताजा रहते ही अभिलेख कीजिए ताकि भबिष्य में अगर आप शिकायत दर्ज कराना चाहे तो इन वृतान्तों को याद कर सकते हैं ।

**Q: मैं ईओसी में अपनी शिकायत कैसे दर्ज कराऊँ और ऐसा करने पर क्या होगा?**
A: शिकायत लिखित रूप में दर्ज करानी होगी। यह आप खुद भी लिख सकते है या ऐसा करने के लिए किसी को भी अधिकृत कर सकते हैं। आप हमारे वेब साईट से शिकायत के फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, या मदद के लिए हमारे हॉटलाईन में संपर्क कर सकते हैं । शिकायत प्राप्त होते ही ईओसीको इस पर छानबीन करना होगा। छानबीन के दौरान इसे यह फैसला करना होगा कि वो सुलह करे या छानबीन बंद करे ।

**Q: क्या व्यक्तियों का एक समूह मिलकर एक शिकायत दर्ज करा सकता है?**
A: हाँ । शिकायतकर्ता एक व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह या कोई अन्य भी हो सकता है ।

**Q: क्या मैं एक पीड़ित व्यक्ति की प्रतिनिधित्व कर सकता हुँ?**
A: हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन एक प्रतिनिधि शिकायतकर्ता को यह प्रमाणित होगा कि उसको पीड़ित व्यक्ति की ओर से प्राधिकरण प्राप्त है।

**Q: अगर मैं कोई शिकायत दर्ज कराना चाहूँ, तो कौनसी जानकारियाँ देनी होगी?**
A: आपको शिकायत लिखित रुप में दर्ज कराना होगा और निम्न सूचना प्रस्तुत करना होगा :
– तारीख और ब्यौरा।
– आपकी व्यक्तिगत जानकारी (नाम, संपर्क सूचना, लिगं, गर्भावस्था की स्थिति, या वैवाहिक स्थिति इत्यादि)
– उत्तरदाताओं के नाम (किसी व्यक्ति या कम्पनी का नाम) और संपर्क जानकारी,
– भेदभाव, उत्पीड़न और पीड़ित किए जाने की दावे को समर्थन देने वाली जानकारी
– भेदभाव के कारण आप पर पडा कोई भी भावनात्मक असर और क्षति के विवरण
– गवाहों पर जानकारी

अगर आपको लिखित शिकायत की तैयारी करने में कठिनाइ हो तो ईओसी के कर्मचारी आपकी सहायता कर सकते है।

## छानबीन और सुलह

**Q: शिकायत के छानबीन ईओसी कैसे करेगी?**

A: ईओसी को कानून के प्रावधान के अन्तर्गत किसी भी शिकायत पर छानबीन करानी होती है। शिकायतकर्ता के आरोपों को जबावदाता के पास, टिप्पणीयों के हेतू भेजा जाता है। इसके बाद जवाबों को शिकायतकर्ता तक भेज दिया जाता है । गवाह के बयानों को लिया जाता है और संबंधित सामग्री इकट्ठा की जाती है यह देखने के लिए कि क्या केस बन्द कर दे या फिर इसे सुलह के हेतु आगे बढ़ा जाए। सभी जानकारियों, जो जॉच की समयावधि के दौरान इकट्ठी की गई हो, उन्हें तृतीय पक्ष से गोप्य रखा जाता है। परन्तु इसे न्यायालय की कार्यवाहियों में पेश किया जा सकता है।

**Q: कौनसी परिस्थितियां में ईओसी मेरे शिकायत की छानबीन को बन्द कर देगा?**

A: ईओसी शिकायत पर छानबीन करने या फिर इसे बंद करने का फैसला तक करेगा जबः

– SDO के अन्तर्गत शिकायत गैरकानूनी न हो तो।
– पीड़ित व्यक्ति को छानबीन जारी रख्ने की इच्छा न हो।
– घटना के घटे हुए 12 महिने बीत चुके है।
– इस शिकायत को उचित रूप से एक प्रतिनिधि शिकायत नहीं माना जा सकता है।
– यह शिकायत ओछा, तगं करने के हेतु से प्रस्तुत या अर्थहीन है।

**Q: अगर मुझे भेदभाव कि महसुस हो तो क्या शिकायत दर्ज कराने के लिए समय सीमा होगी?**

A: अगर आप ईओसी में शिकायत दर्ज कराना चाहते हो तो आपको घटना के 12 महीनो के भीतर ऐसा करना होगा। अगर आप कानूनी कार्यवाहियों को जिला न्यायालय में ले जाना चाहते है तो, आपको घटना के 24 महीनों के भीतर ऐसा करने की जरूरत है।

**Q: ईओसी किस प्रकार किसी विवाद की सुलह करता है?**

A: सुलहकर्ता दोनो पक्षोंको उन मुद्दों की जांच करने में जो शिकायत का कारण बनी, समझौते के बिन्दु पहचानें में और इस विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत करने की सहायता करता है। कानून के प्रावधान के अन्तर्गत ईओसीको जरूरी होता है कि किसी भी शिकायत पर छानबीन करें और इसके बाद सुलह प्रक्रिया के जरिये मामले को सुलझायें । सुलह एक स्वेच्छिक प्रकृया है । सुलहकर्ता किसी भी पक्ष के वकालत नहीं करता है और निष्पक्ष कार्य सहयोगी के रूप में कार्य करता है जो समस्याओं को सुलझा सके। समझौते अलग किस्म होते के हैं और उनमें क्षमा–याचना, वित्तीय क्षतिपूर्ति, समान अवसर नीतियों को लागू कराने आदि का प्रावधान हो सकता है । निर्णय समझौता इकरारनामा के समान होते है और कानूनी तौर पर मान्य होते हैं। अतिरिक्त जानकारी के लिए सुलह पर ईओसी की अतिरिक्त सुचनाएं पढ़ें।

**Q: अगर सुलह असफल हो जाए तो ईओसी हमारे लिए क्या कर सकता है?**

A: अगर सुलह के जरिए शिकायत की समाधान न हो पाए तो अदालत जाने के लिए कानूनी सहायता के लिए आप ईओसी में अनुरोध कर सकते हैं। सहायता कार्यो के अर्न्तगत कानूनी सलाह देना, ईओसी के वकीलों द्वारा प्रतिनिधित्व करना, बाहर के वकीलों द्वारा कानूनी

प्रतिनिधित्व कराना या किसी भी रूप में ऐसी सहायता जिसे ईओसी उचित समझे पड़ता है। ईओसी की एक समिति सभी प्रकार की आवेदनों पर विचार करता है।

**Q: ईओसी में गए बगैर क्या मैं स्वतंत्र रूप में अदालत जा सकता हूँ?**
A: हाँ, कोई भी अदालत में स्वतन्त्र रूप से जा सकता है और ईओसी गए बगैर कानून के अन्दर सिविल कार्यवाहियाँ शुरू करा सकता है।

ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें

**Equal Opportunities Commission**
19/F, CityPlaza Three, 14 Taikoo Wan Road
Taikoo Shing, Hong Kong
Tel: 2511-8211

वेबसाईट http://www.eoc.org.hk

2008